घरेलू हिंसा एक ज्वलंत समस्या है? एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

शोध पत्र

* कु. शिल्पा खरे

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। भारतीय समाज मे महिलाएँ एक लम्बे काल से अवमानना, यातना और भाोशण का ि ाकार रही हैं। जितने काल से हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित परिणाम उपलब्ध हैं। आज भौनः भौनः महिलाओं को पुरूशों के जीवन में महत्वपूर्ण, प्रभाव ाली और अर्थपूर्ण सहयोगी माने जाने लगा है। हिंसा का यह दौर महिलाओं के भाारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। सामान्यतः हिंसा को तीन भागों मे बांटा गया है जो निम्नलिखित हैं :– 1. आपराधिक हिंसा : बलात्कार, अपहरण, हत्या 2. घरेलू हिंसा : दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्वव्यवहार 3. सामाजिक हिंसा : पत्नी, पुत्रवधु को मादा भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, दहेज, यातना आदि। स्त्रियों के लिए हिंसा का माहौल खुद उनके घर में तैयार होता है। घरेलू हिंसा की प्रकृति उतनी ही पुरानी है जितना की मानव समाज। सेकड़ों वर्शो से पूरे वि व में घरेलू हिंसा हो रही है।

समाज ने विचारपूर्वक ऐसे वि वास और परम्पराओं वाले नियमों को स्थापित किया जिन्होने इस प्रकार की हिंसा को जन्म दिया, वि ोशकर महिलाओं के विरूद्ध। ये सामाजिक सिद्धांत अत्यंत ही सोच–विचारकर महिलाओं की पराधीनता/अन्योन्याश्रिता को सुनि चत करने के लिए स्थापित किए गए। घरेलू हिंसा को एक वि ाश्ट समस्या के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में 1983 में माना गया था। महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार ने 1970 के महिलाओं के आन्दोलन के दौरान जन चेतना का रूप ले लिया था। घरेलू हिंसा किसी भी प्रकार के तनाव जो किसी भी प्रकार के पारिवारिक समस्यायुक्त परिस्थितियों में रहने से पैदा होता है या पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति का इलाज भाायद कानून के पास भी नहीं है। वि व प्रसिद्ध लेखिका तसलीमा नसरीन ने अपनी पुस्तक ''औरत होने के हक'' में स्पश्ट किया है कि एक महिला यदि कहीं अकेली जाती है तो उसे सौ सवालों के जवाब देना होता है। यदि वह अपने घर विलम्ब से लौटती है तो उसे विलम्ब के लिए तर्कपूर्ण कारणों को स्पश्ट करना होता है। वर्तमान में महिला उत्पीड़न को बढ़ावा देने में बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज प्रथा, महिलाओं को जला देना, अपहरण करना तथा मारना–पीटना आदि महिलाओं के साथ खुलेआम हो रहा है। नैना साहनी तंदूर कांड, ि ावानी भटनागर यौन भाोशण कांड, राजस्थान के डिग्गी ढानीं में बादाम देवी को डायन बताकर मारना, जयपुर जे.सी. बोस छात्रावास कांड, अंजना मिश्रा कांड, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में घटित बलात्कार कांड, नि ाा व जूजा तेजाब कांड आदि ने महिला उत्पीड़न मे घी का काम किया है। आधुनिक काल में घरेलू हिंसा को रोकने के कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए तथा महिलाओं को संवैधानिक भाक्तियां दी गई जैसे – • हिन्दु अधिकार अधिनियम–1929 • हिन्दु महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकार अधिनिमय–1937 • पारिवारिक न्यायालय अधिनियम–1954 • वि ोश विवाह अधिनियम–1954 • हिन्दु विवाह अधिनियम–1955 • हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 • प्रसव लाभ अधिनियम–1961 (संसोधन–1995) • दहेज प्रतिबंध अधिनियम–1961 (संसोधन–1986) • गर्भवती उपचार अधिनियम–1971 • समान पारिश्रमिक अधिनियम–1976 • बाल विवाह निशेध अधिनियम–1976 • स्त्री अि ाश्ट निरूपण अधिनियम–1986 • प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम–1994 • भारतीय तलाक अधिनियम–2001 आदि।

भारत मे वर्श 2001 को ''महिला स ाक्तीकरण वर्श'' मनाने के उपलक्ष्य में पहली बार ''राश्ट्रीय महिला नीति'' लागू करने के बाद स ाक्तीकरण वर्श में महिलाओं पर घरेलू हिंसा निरोध विधेयक, परित्याक्ताओं हेतु गुजारा भत्ता संसोधन विधेयक, बालिका अनिवार्य ि ाक्षा व कल्याण विधेयक आदि भी तैयार किय गये थे। इसमें प्रथम विधेयक भारत सरकार ने 13 सितंबर 2005 को घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित कर दिया। वास्वत मे यह अधिनियम महिला स ाक्तीकरण की दि ाा मे उठाया गया ठोस कदम है। इस कानून द्वारा ताने मारने या ऊंची आवाज में बोलने तक को अपराध माना गया है। घरेलू हिंसा की ि ाकार महिला के निम्नलिखित अधिकार होंगे :– 1. धारा 5 के अधीन उन अधिकारों और अनुतोश के बारे मे जानने मे संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदान की सहायता, जो वह प्राप्त कर सकती है। 2. सरंक्षण अधिकारी की सहायता और सेवा प्रदाता या निकटतम् पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का पीड़ित की ि ाकायत दर्ज करने, सहायता करने, धारा 8 और 10 के अधीन अनुतोश के लिए आवेदन करने मे सहायता करना। 3. धारा 18 के अध ीन घरेलू हिंसा के कृत्यों से स्वयं और स्वयं के बालकों के लिए संरक्षण प्राप्त करना। 4. पीड़ित अपनी खतरों या असुरक्षाओं जिनका वह या उनके बालक सामना कर रहे है से संरक्षण के लिए उपाय और आदे ा प्राप्त करने का अधिकार। 5. धारा 18 के अधीन पीड़ित के धन, आभूशण, कपड़ो और दैनिक उपयोग के वस्तुओं को वापस कब्जे में लाना। 6. धारा 6, 7, 9 तथा 14 के अधीन चिकित्सीय सहायता, आश्रम पराम ा और विधिक सहायता प्राप्त करना। 7. धारा 18 के अन्तर्गत उसके विरूद्ध घरेलु हिंसा करने वाले व्यक्ति को उससे सम्पर्क करने या पत्र–व्यवहार करने से रोकना। 8. धारा 22 के अधीन घरेलु हिंसा के कारण हुई किसी भाारीरिक या मानसिक क्षति या किसी अन्य वित्तीय

*पी.एच.डी. शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर, मध्यप्रदेश

नुकसान के लिए प्रतिकार है। 9. अधिनियम की धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के अधीन ि ाकायत करने या किसी न्यायालय की सीधे हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन करना। 10. घरेलू हिंसा के संबंध मे किसी प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किसी कथन की प्रतियां लेना। 11. किसी खतरे से बचाव के लिए पुलिस या संरक्षण अधिकारी की सहायता लेना। वास्तव में यह अधिनियम महिला स ाक्तीकरण की दि ाा मे उठाया गया एक ठोस व व्यवहारिक कदम है। जिसके वास्तविक क्रियान्वयन से नि चत ही समूचा महिला वर्ग लाभान्वित हो सकेगा। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी ने इस अधिनियम की महत्ता को इन भाब्दों में व्यक्त किया है – ''घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण सम्बंधी अधिनियम का लागू किया जाना लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है''। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार 25 वर्श से कम उम्र की पत्नियां पति से उत्पीड़न का अधिक ि ाकार होती है। न्यूनतम आय वाले परिवार में स्त्रियों में पीटने की संभावना अधिक होती है। अि ाक्षित पत्नियों की तुलना में ि ाक्षित पत्नियों की पीटने की संभावना कम होती है। संयुक्त राश्ट्र जनसंख्या कोश की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14–49 वर्श की 70 प्रति ात महिलाएँ किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा की ि ाकार है। लॉयर्स कलेक्टिव (वुमेन राइट इनीसिएटिव) नामक संगठन द्वारा तैयार रिपोर्ट ''स्टेइंग अलाइव'' के अनुसार 2007 तक घरेलू हिंसा के मात्र 7,913 मामले दर्ज हुए।

जिसमें सबसे ज्यादा राजस्थान 3344, दुसरे नं. पर केरल 1028 फिर आन्ध्रप्रदे ा 731, दिल्ली 607, महाराश्ट्र 603, गोवा 603, गुजरात 315, पंजाब 249, हरियाणा 235, उत्तराखंड 145, कर्नाटक 124 मामले सामने आए है। बिहार मे घरेलू हिंसा के 64, पि चम बंगाल मे 54 और उड़ीसा मे केवल 12 मामले दर्ज हुए। दूसरी और क्राइम अगेंस्ट वूमन सेल ने 2002 मे हेल्पलाइन सेवा भाुरू की थी। वर्श 2006 में 4907 कॉल पर पुलिस ने जिन पर कार्यवाही की उनमें से 70 प्रति ात घरेलू हिंसा से सम्बंधित थी। इनमे से केवल 4 प्रति ात ही पुलिस समझौता करा पाई। अमेरिका जैसे विकसित दे ा मे हर दो मिनट में महिला के साथ बलात्कार होता है। हॉलैण्ड में घरेलू हिंसा का ि ाकार होने वाली 45 प्रति ात महिलाएँ 18 साल से कम उम्र की होती हैं। भारत में आधे से अधिक महिलाओं ने अपने पर हुए घरेलू हिंसा को न केवल स्वीकार किया बल्कि उन्हें जायज तक करार दिया। 56.6 प्रति ात महिलाओं ने किसी एक वजह से पिटाई को उचित ठहराया है। यह तो केवल दर्ज सरकारी आंकड़े हैं जो द ााते है कि भारत के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ की महिलाएँ चुपचाप घरेलू हिंसा को अपनी नियति मानकर सहन करती रहती है और पति के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाना तो दूर व घरेलू हिंसा को सही ठहराती है। बिहार में 28 प्रति ात महिलाओं ने पति के प्रति गैर वफादार होने के कारण पिटाई को सही ठहराया है। जबकि 96 प्रति ात महिलाओं ने दहेज न लाने के कारण पिटाई को सही नहीं माना परन्तु 40 प्रति ात ने सही ठहराया। यहाँ 26.6 प्रति ात निम्न, 20.1 प्रति ात मध्य तथा 10 प्रति ात उच्च वर्गीय महिलाओं ने घरेलू हिंसा की बात स्वीकार की है। बिहार में आत्मनिर्भर होकर भी औरतों की हालत में खास बदलाव नहीं आया है। यहाँ की औरतें हर तरफ से जलील होने के लिए अभि ाप्त हैं। इसका मुख्य कारण महिलाओं की अधिकारों के प्रति जागरूकता में कमी है। इस प्रताड़ना का सीधा प्रभाव परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्था पर पड़ता है। परिवार विघटित होने लगता है जिससे न केवल परिवार के बच्चे बल्कि परिवार के सदस्यों तथा पड़ौस के लोगो पर भी दुश्प्रभाव पड़ता है। ऐसे परिवार के सदस्य असामाजिक कार्य में लग जाते हैं। अतः घरेलू हिंसा रोकने के उपाय खोजने चाहिए।

घरेलू हिंसा रोकने के उपाय निम्नलिखित है :– • घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनिमय सख्ती से लागू किया जाए। • महिलाओं को वि ोशकर ग्रामीण क्षैत्र की अि ाक्षित महिलाओं को इस कानून की विभिनन धाराओं से प्राप्त संरक्षण को विस्तृत में समझाया जाए। • महिलाओं को नहीं बल्कि घरेलू हिंसा करने वाले परिवार के सभी सदस्यों को भी इस कानून द्वारा दण्डित किए जाने के बारे मे जानकारी दी जाए। • पुलिस प्र ाासन के साथ–साथ स्वयं महिलाओं की व स्वयं सेवी संगठनों की अधिकाधिक भागीदारी सुनि चत की जाए। • अधिक से अधिक आश्रम स्थल बनाएं जाऐ ताकि पीड़ित महिला वहां आश्रम पा सके। • निः ाुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने वाली संस्थाओ का विस्तार और प्रसार जरूरी है। • पारिवारिक न्यायालय को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। • महिलाओं के प्रति पुरूश सदस्यों की सोच मनोवभव मे बदलाव सर्वोपरि है। • महिलाओं के लिए बनाई गई नीतियों का भाासन द्वारा ईमानदारी व निश्ठा से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। • उत्पीड़ित महिलाओं को सरकारी व गैर सरकारी संगठनो द्वारा पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए। • महिलाओ को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व ि ाक्षित बनाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास होना चाहिए।

निष्कर्ष :–उपरोक्त कथनों के अवलोकनोपरांत कहा जा सकता है कि परिवार के विघटन का प्रमुख कारण घरेलू हिंसा है। जिसका दुश्प्रभाव समाज की विभिन्न संस्थाओं पर पड़ता है। दे ा के सर्वांगीण विकास हेतु आव यक है कि दे ा की आधी आबादी को प्रताड़ित करने के स्थान पर प्रोत्साहित किया जाए। अतः प्रत्येक नागरिक को यह जानना आव यक है कि वह किस प्रकार से महिला हिंसा को दोशी होने से बचे और सदियों से भाोशित, उपेक्षित व हतोत्साहित महिला वर्ग के विकासार्थ अपना योगदान सुनि चत करे। डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि ''भारतीय नारी श्रम से नही घबराती किन्तु आंसुओ की चिंता करते हुए रोटी, असामान्य व्यवहार, अपमान व भाोशण से अव य घबराती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. भाटी कांता ''महिला उत्पीड़न दहेज प्रताड़ना एवं दहेज हत्या'' पोइन्टर पब्लि ार्स, रायपुर, 2007 2. अंसारी एम.ए. ''राश्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी'' ज्योति प्रका ान, जयपुर 2005 । 3. उशा किरण योजना मार्गदर्ि ाका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, नियम 2006 के प्रावधान संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग म.प्र. 2008 4. आलेख ''घरेलू हिंसा–समस्या एवं निदान'' पत्रिका क्रॉनिकल 2009 अगस्त। 5. आहुजा राम ''सामाजिक समस्याएँ रावत पब्लि ार्स, जयपुर 2006 6. समाचार–पत्र ''दैनिक भास्कर आलेख घरेलू हिंसा आंकड़ो की बढ़त'' मई 2009 । 7. अंसारी एम.एए. ''नारी चेतना और अपराध'' पंच ाील प्रका ान जयपुर 2008 । 8. डॉ. भार्मा रामनाथ एवं भार्मा राजेन्द्र कुमार ''भारत मे सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक समस्याएँ'' अटलांटिक प्रका ान नई दिल्ली 2000 । 9. आप्टे प्रभा ''भारतीय समाज मे नारी'' क्लासिक पब्लि ार्स, जयपुर 2006 । 10. राश्ट्रीय अपराध ब्युरो रिपोर्ट ''क्राईम अगेंस्ट वुमेन'' नई दिल्ली 2008 ।